भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3992
12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

तमिलनाडु में एनएफएसए और पीडीएस का कार्यान्वयन

3992. श्री जी. सेल्वम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, और पात्र लाभार्थियों, उचित मूल्य की दुकानों और खाद्यान्न आवंटन का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा तमिलनाडु में एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण, ई-पीओएस डिवाइस, आधार सीडिंग और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के माध्यम से पीडीएस को सुदृढ़ करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में पारदर्शिता, सुवाह्यता, खाद्यान्न के समय पर वितरण और लाभार्थियों की संतुष्टि को बेहतर बनाने पर इन पहलों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में पीडीएस के अंतर्गत शिकायत निवारण के सुदृढ़ीकरण, खाद्यान्न की हेराफेरी को रोकने और सेवा वितरण में सुधार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा तमिलनाडु में पीडीएस के आधुनिकीकरण और खाद्य सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है। यह अधिनियम तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। तमिलनाडु द्वारा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु (दिनांक 16.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार) 364.70 लाख व्यक्तियों के अपेक्षित कवरेज की तुलना में 362.23 लाख लाभार्थियों की पहचान की है।

तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएफएसए के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

...2/-

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार
3,63,61,654	3,55,24,668	3,63,36,681

तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचालनात्मक उचित दर दुकानों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2024	2025	2026
34,805	34,890	34,955

तमिलनाडु राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित खाद्यान्न (हजार टन में) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2023-24	2024-25	2025-26
3677.75	3677.75	3677.75

(ख) से (ङ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण तथा समग्र दक्षता को सुदृढ़ करने हेतु, सरकार द्वारा अनेक प्रमुख पहलें कार्यान्वित की गई हैं, जिनमें 100% डाटाबेस का डिजिटलीकरण और राशन कार्डों को आधार से जोड़ना, डाटा विश्लेषण के माध्यम से यथोचित लक्ष्यीकरण, ऑनलाइन अनाज आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं शिकायत निवारण पोर्टल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ई-पीओएस-स्वचालित उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण को सुव्यवस्थित किया गया है, जिनमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से राष्ट्रव्यापी कार्ड पोर्टेबिलिटी, स्मार्ट-पीडीएस का कार्यान्वयन और सार्थक पीडीएस अम्ब्रेला योजना (2026-31) की निर्मल और सक्षम पहलों के तहत उन्नत वास्तविक समय डाटा एकीकरण और ट्रैकिंग शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम प्रत्येक जिले में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (आईजीआरएम) स्थापित करने, जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) की नियुक्ति/ नामित करने का प्रावधान करता है ताकि पात्र खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी ढंग से निवारण किया जा सके और अधिनियम के तहत पात्रता को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन/नामितीकरण का प्रावधान भी इस अधिनियम में है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी को सुदृढ़ बनाने तथा नियमित रूप से अधिक गहन, सूक्ष्म एवं व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमजीकेएवाई का समवर्ती मूल्यांकन कराया है।
